

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

लाडू बनाम शमकरण (करो)

किस्म मुकदमा 111-128 नं० 58 सन् 2020

नांक	हुकम या कार्यवाही नय इनिशयल्स जज	नन्दर द तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख ने जारी हुए
6-20	<p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन/नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 7-7-20 को पेश हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>7-7-20 उभय पक्ष उपस्थित पी.सी.डी. अधिकारी राजकीय कार्य से उपस्थित है / पदरिक्त है । अतः पत्रावली दिनांक 26-7-20 को पेश हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p> <p>28/7 उभय पक्ष उपस्थित पी.सी.डी. अधिकारी राजकीय कार्य से उपस्थित है / पदरिक्त है । अतः पत्रावली दिनांक 7-8-20 को पेश हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p> <p>3-20 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थनापत्र उपस्थित, अप्राधी गण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.प. क्रिये जाये. तदनुसार मांडल से माँका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा.प. की गई, पूर्व में रसीमाशान नहीं कराया गया। अप्राधीगण को कितनी मर्तबाक्षावाजे खिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं। इनके विकल्प एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं वकील प्रार्थनापत्र का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथकसे किया जाकर शा.प. क्रिया गया। पत्रावली फैसले शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>	

र व
नाम
की
जासी

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

ठासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

क्रमा संख्या - 58/20 प्रा.पत्र

श्री लाडु जंजी वसुजाट निवासी-धुवाला तहसील-माण्डल (वगैरा)

-प्रार्थी

बनाम

श्री रामकरण श/श्री नारायण जाट निवासी धुवाला तहसील-माण्डल (वगैरा)
(प्रा.पत्र की फोटो कापी संलग्न है)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 07-08-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....धुवाला.....पटवार हल्का.....धुवाला.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 1627, 1631, 1633, 1635, 1651, 1653, 1662, 1663 कुल किता.....08.....रकबा.....05.....घा. 09.....बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह ही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.06.20.....को पंजीबद्ध किया जाकर करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की ग्रा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को रखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....धुवाला.....पटवार हल्का.....धुवाला.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1627, 1631, 1633, 1635, 1651, 1653, 1662, 1663 कुल किता.....08.....रकबा.....05.....घा. 09.....बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....माण्डल.....400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा